

26/6/23

मंत्रालय कर्मचारीको डि हस्ताल लमाए कोर
पञ्जावली पेश उइ) लकार डि कोर
ले पेशकार उपर) कशचीगण डि
तामिल कदम लांटी है। जिले पश्चात
अशचीगण की लली हेर पुनः नोदिस
तलबाना पेश नही रिपा जपा है।
जबकि नियमानुसार पुनः नोदिस तलबाना
लात रिक्स में पेश कला चाहे
था। जो नही रिपे हो जिले यह
हपल है डि शची द्वारा करि १ रुड
५ ली.पी.ली मे रिपे निर्देशी डि
पालना नही डि उरि है। जो कवहेलन
की शैली में आना हो

अतः इस आधार पर
तहलीलकार नीमकायाना (शची) द्वारा
प्रदुष्ट शर्तना पर कन्वति नियम
14(4) रा० भू० रा० अधिनियम के
तहत खारीज रिपा जावा है। पञ्जावली
फैलड शुमार होकर नम्बर ले कम
होकर दारिलद दफ्तर हो।

(अमित कुमार)
आंतरिक विभा कलक्टर
एवं अति. विभा नजिस्ट्रेट
नीमकायाना

